न्यायाधिकार–ग्राम न्यायालय, नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०)

पीठासीन अधिकारी – सुमन चौधरी (आर.जे.एस.)

नियमित आपराधिक प्रकरण सख्या – 23/2024

सीआईएस रजिस्ट्रेशन संख्या – 23/2024

सी०एन०आर० नंबर – RJJH140000572024

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 47/2023, गोठड़ा

अपराध अंतर्गत धारा – 451, 341, 323, 427/34 भा०द०स०

भाग–प्रथम

A

परिवादी	श्री लोकेश कुमार
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी श्री विकास शर्मा
अभियुक्तगण का नाम व पता	**01–** गोपाल सिंह पुत्र गणेश सिंह, उम्र 30 वर्ष, निवासी पाडावाला की कोठी तन बागोरियां की ढाणी, पुलिस थाना गोठड़ा, **02–** हेमंत सिंह पुत्र भंवर सिंह, उम्र 24 वर्ष, निवासी चारभुजा मोहल्ला चिराना, पुलिस थाना गोठड़ा, जिला झुंझुनूं, राजस्थान।
अधिवक्तागण अभियुक्तगण	श्री अमर सिंह शेखावत व भोजराज सिंह शेखावत
अधिवक्ता परिवादी	----------

B

अपराध की दिनांक	06-12-2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	06-12-2023
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	24-01-2024
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	24-01-2024
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	26-03-2024
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	-------
निर्णय दिनांक	06-05-2026
दण्डादेश की दिनांक	06- 05-2026

C

अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा–428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	गोपाल सिंह	---	---	451, 341, 323, 427/34 भा०द०स०	दोषसिद्ध	निर्णय की मद सं०–15 में वर्णितानुसार	---
02	हेमंत सिंह	---	---	451, 341, 323, 427/34 भा०द०स०	दोषसिद्ध	निर्णय की मद सं०–15 में वर्णितानुसार	---

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू 1	अनिल कुमार	आहत
पी.डब्ल्यू 2	लोकेश कुमार	परिवादी
पी.डब्ल्यू 3	शंकर लाल सैनी	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू 4	विनोद कुमार सैनी	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू 5	बलवंत सिंह	स्वतंत्र गवाह

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
--	--	--

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह,

		चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी.01	तहरीर रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी.02	चाक एफआईआर
03	प्रदर्श पी.03	नक्शा मौका घटनास्थल
04	प्रदर्श पी.04	किरायानामा
05	प्रदर्श पी.05	बयान धारा 161 सीआरपीसी बलवंत सिंह

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
--		

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	--	

01– संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि 06.12.2023 को परिवादी श्री लोकेश कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल, उम्र 24 वर्ष, निवासी बागोरियों की ढाणी तन चिराना पुलिस थाना गोठड़ा ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि प्रार्थी का छोटा भाई अनिल कुमार ग्राम चिराना में चाणक्य पब्लिक लाईब्रेरी संचालित कर रखी है। श्रीमान जी हमेशा की तरह आज दिनांक 06.12.2023 को सुबह सात बजे अनिल ने अपनी लाईब्रेरी खोल ली थी। समय करीब 09.30 बजे अभियुक्तगण हेमंत सिंह, गोपाल सिंह, निवासी चिराणा व 40–50 अन्य लोग इकटठे होकर आये और लाइब्रेरी के अंदर घुस गये। जिसको संचालक अनिल ने हाथा जोड़ी करके बाहर निकाला और लाईब्रेरी बंद कर दी। उसके

बाद करीब 15–20 मिनट बाद उक्त अभियुक्तगण दुबारा आये आते ही लाईब्रेरी के बाहर छत पर बैठे संचालक अनिल के साथ मारपीट करने लग गये व पास खड़ी लड़कियों से अभद्र व्यवहार करने लगे। अनिल को धमकी दी कि इन लड़कियों को हमारे साथ भेजो। लड़कियों ने जाने से मना कर दिया तब उक्त लोगों ने लाईब्रेरी में घुसकर फर्नीचर व अन्य सामान को तोड़फोड़ कर दिया और संचालक अनिल के साथ मारपीट की व छत से नीचे गिराने की कोशिश की। मौके पर उपस्थित लड़कियों ने अनिल को बड़ी मुश्किल से बचाया। उक्त लोग अनिल को जान से मारने पर उतारू है और अब भी जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। अतः रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें, इत्यादि.......।" उक्त आशय की तहरीर रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना गोठड़ा में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

02– न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को धारा– 451, 341, 323, 427/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने जुर्म से इंकार कर अन्वीक्षा चाही। जिस पर अभियोजन साक्ष्य को तलब किया गया।

03– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या–02 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान करवाये गये व पृष्ठ संख्या–02 पर भाग 'अ' में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

04– अभियुक्तगण के कथन अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना, उसके विरूद्ध झुठा मुकदमा दर्ज करवाया जाना बताया व साक्ष्य सफाई पेश करने से इन्कार किया गया।

05– दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को विधिनुसार दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

06– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने अभियुक्तगण को बरी किए जाने का निवेदन किया गया।

07– बहस उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न अवधारणीय बिन्दु विरचित किये

जाते है–

1– आया अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में दिनांक 06.12.2023 को वाके मौजा तन चिराणा में आहत अनिल कुमार को शारीरिक पीड़ा कारित करने के आशय या जान से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की, उसको उस दिशा में, जिसमें जाने का उसको अधिकार था, स्वेच्छया बाधा डाला जाना निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया तथा उसकी लाइब्रेरी में घुसकर गृह अतिचार कारित कर लाइब्रेरी का सामान तोड़कर रिष्टी कारित की?

2– यदि हां, तो उसका उचित दण्ड क्या होगा ?

08– इस संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो परिवादी पीडब्ल्यू 02 लोकेश कुमार स्वयं रिपोर्टकर्ता है। जिसके द्वारा तहरीरी रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए अभियोजन कहानी का समर्थन किया गया है। दौराने मुख्य परीक्षा गवाह ने कथन किया है कि दिनांक 06.12.2023 को सुबह 07 बजे उसका छोटा भाई अनिल कुमार ने अपनी लाइब्रेरी खाली। सुबह 09.30 बजे गोपाल सिंह, हेमंत सिंह व अन्य कई व्यक्ति आये और उन्होंने अनिल कुमार को लाइब्रेरी बंद करने को कहा। अनिल कुमार द्वारा लाइब्रेरी बंद कर दी गयी तो लाइब्रेरी के विद्यार्थी छत पर जाकर बैठ गये जिनको देखकर वे लोग वापस आये और उसके भाई अनिल कुमार के साथ गाली–गलौच कर थाप–मुक्कों से मारपीट की तथा उसकी कुर्सियों को तोड़ दिया जिससे उसको 03–04 हजार रूपये का नुकसान हुआ। हस्तगत प्रकरण में परीक्षित अन्य गवाहान पीडब्ल्यू 01, पीडब्ल्यू 03 व पीडब्ल्यू 04 ने भी परिवादी के कथनों की ताईद की है। गवाह पीडब्ल्यू 05 हस्तगत प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है। परिवादी द्वारा दी गयी रिपोर्ट में वर्णित कथनों को अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने सफल रहा है। अतः न्यायालय द्वारा किये गये उपर्युक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 451, 341, 323, 427/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है।

09– चूंकि जहां किसी व्यक्ति के विरूद्ध अथवा व्यक्ति को विधि की विधिक प्रक्रिया बताकर उसको उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से हनन किया जाता है तथा किसी आपराधिक विचारण में उसे डाला जाता है तो नैसर्गिक व विधिसम्मत रूप से न्यायालय किसी निष्कर्ष पर

पहुंचने के लिए यह अपेक्षा रखता है कि सभी प्रक्रियात्मक विधिक प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे तथा तथ्यात्मक स्थिति सुदृढ, सबल सुनिश्चितता के साथ न्यायालय के समक्ष हो। अतः हस्तगत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण को धारा–451, 341, 323, 427/34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किए जाने के युक्तियुक्त सबल व सुनिश्चित आधार पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः उक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष का विवरण अखण्डनीय रूप से अनुप्रमाणित होता है।

10– परिणामतः उपर्युक्त समस्त विवेचन से विचारणीय बिन्दू सकारात्मक रूप में तय किया गया है।

–आदेश–

11– एतदद्वारा अभियुक्तगण 01– **गोपाल सिंह पुत्र गणेश सिंह, उम्र 30 वर्ष, निवासी पाडावाला की कोठी तन बागोरियां की ढाणी, पुलिस थाना गोठड़ा, 02– हेमंत सिंह पुत्र भंवर सिंह, उम्र 24 वर्ष, निवासी चारभुजा मोहल्ला चिराना, पुलिस थाना गोठड़ा, जिला झुंझुनूं, राजस्थान** को आरोपित अपराध धारा– 451, 341, 323, 427/34 भारतीय दण्ड संहिता में **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है।

(सुमन चौधरी)
न्यायाधिकारी,
ग्राम न्यायालय, नवलगढ
जिला झुन्झुनूं (राज०)

सजा के बिन्दू परः–

12– सजा के बिन्दू पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने यह निवेदन किया कि अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है तथा अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि का कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है एवं अभियुक्तगण ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है। अतः परीविक्षा का लाभ दिया जावे। विद्वान अभियोजन अधिकारी ने इसका विरोध कर अभियुक्तगण को विधिनुसार दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया।

13– उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली व संबधित विधि का दण्ड के प्रश्न पर पुनः ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

14– उभय पक्षों के तर्कों पर बाद गौर यह पाया जाता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि का तथ्य अभिलेख पर नहीं है तथा ना ही उसे पूर्व में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर परिवीक्षा का लाभ दिया गया है। इस बाबत अभियुक्तगण ने अपना शपथ पत्र भी

प्रस्तुत किया है जिसका अभियोजन की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है। अभियुक्त वर्ष 2023 से विचारण की पीड़ा भुगत रहे हैं। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों परिस्थितियों व अभियुक्तगण के चरित्र व उम्र आदि समस्त तथ्यों एवं धारा 360 दण्ड प्रक्रिया संहिता व परीविक्षा अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर अभियुक्तगण को अपराधी परीविक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

15– परिणामतः अभियुक्तगण **01– गोपाल सिंह पुत्र गणेश सिंह, उम्र 30 वर्ष, निवासी पाडावाला की कोठी तन बागोरियां की ढाणी, पुलिस थाना गोठड़ा, 02– हेमंत सिंह पुत्र भंवर सिंह, उम्र 24 वर्ष, निवासी चारभुजा मोहल्ला चिराना, पुलिस थाना गोठड़ा, जिला झुंझुनूं, राजस्थान** को धारा–451, 341, 323, 427/34 भारतीय दण्ड संहिता एक्ट के आरोपों में दोषसिद्ध कर तुरंत कारावास से दण्डित करने के बजाए प्रत्येक अभियुक्त को धारा 04(1) अपराधी परीविक्षा अधिनियम के तहत परीविक्षा का लाभ इस शर्त पर दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र इस आशय का पेश कर न्यायालय में तस्दीक करवा दे कि इस अवधि के दौरान वह अपराध की पुनरावृित नहीं करेगा, शांति व सदाचार बनाये रखेगा, न्यायालय द्वारा आहुत किये जाने पर न्यायालय में उपस्थित होकर आदेशानुसार सजा भुगतेगा तो उसे परीविक्षा पर रिहा कर दिया जावे। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर धारा–05 परीविक्षा अधिनियम के तहत 500/–(पांच सौ रूपये) बतौर अभियोजन व्यय अधिरोपित किया जाता है।

16– अभियुक्तगण की ओर से उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत प्रतिभू एवं बंधपत्र एतदद्वारा तत्क्षण भार से उन्मोचित किया जाता है।

17– निर्णय, आदेश व दण्डादेश आज दिनांक **06–05–2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(सुमन चौधरी)